पत्रांक /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः29 दिसम्बर, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 – 29.7.09
सर्वश्री फैरिटिको इण्डिया प्रा0लि0,
खसरा न.–277 लकेश्वरी भगवानपुर, रुडकी।
निर्णय का दिनांक– दिसम्बर 2009,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री एस.सी.चौरसिया अधिवक्ता।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स फैरिटिको इण्डिया प्रा0लि0, खसरा न.–277 लकेश्वरी भगनवानपुर, रुडकी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूछा गया हैः–

1- Whether lashing/fastener to be fitted on many points of the moving or still objects are taxable 4% under schedule II (b) of uttrakhand value added tax Act 2005 being fasteners as mentioned in item no75.

2- Whetherparts of fastener being sold by the applicant being tool,strips falling in the category of declared goods as per section 14 of CST.

3- Whether Narrow woven fabric belts being used for trying/fastening the moveable of solid objects/cargo are tax free item or is taxable 4 % being belting of all varieties and descriptions mentioned in entry no 18 of schedule II(b)of uttrakhand valu added tax act 2005

2. विभागीय मत डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)वाणिज्य कर, रुडकी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि व्यापारी द्वारा Lashing पर 12.5 प्रति0 की दर से करदेयता स्वीकार करते हुये कर जमा किया जा रहा है। तथा व्यापारी के द्वारा Steel Ratchet,Steel Hooks,Narrow woven fabric belts,PVC Pad को Lashing का Components स्वीकार किया गया है। अतः उक्त वस्तुओं का स्वतन्त्र अस्तित्व नही है बल्कि इनकी Assembling से Lashing अस्तित्व में नही है। Steel Ratchet को tool नही कहा जा सकता,क्योकि टूल किसी कार्य विशेष को करने के लिये स्वयं में एक इस्ट्रूमेन्ट होता ह। इस प्रकार ये वस्तुऐं 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी, तथा Narrow woven fabric belts करमुक्त न होकर अनुसूची 2(ख) के कमांक 18 पर अंकित प्रविष्टि Belting of all Varieties and Descriptions के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी।

3. फर्म की ओर से श्रीएस0सी0 चौरसिया अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सर्वश्री झलानी ट्रेड सेन्टर गुड़गांव के मामले में आयुक्त/प्रमुख सचिव उत्पादन एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा, मूल्यवर्धित कर अधिनियम के तहत दिये गये निर्णय की छायाप्रति दाखिल की गयी।

4. मेरे द्वारा फर्म अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्यों तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 (ख) के तहत हार्डवेयर जिसमें नट, वोल्ट, स्कू, नेल्स तथा फास्टनर सम्मिलित है लेकिन आयरन अथवा स्टील वायर सम्मिलित नही है को रखते हुये इन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है, तथा इसी अनुसूची के कमांक 113 पर टूल्स को रखते हुये इन पर भी 4 प्रतिशत की दर से करदेयता

निर्धारित की गयी है। फर्म द्वारा Lashing /fastener जिसका उपयोग वस्तुओं के Movement के लिये किया जाता हैपर वर्तमान में 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । व्यापारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि fastener steel, Ratchet steel, Hooks,Narrow woven fabric belts,PVC Pad तथा वायर की Assembling के द्वारा बनाया जाता है। अनुसूची 2(ख) के कमांक 75 पर जो fastener सम्मिलित किया गया है उसका निर्माण किन वस्तुओं से होता है और उसके तहत कौन सी वस्तुऐं सम्मिलित होगी उसे परिभाषित नही किया गया है। अतः व्यापारी जिस वस्तु का निर्णाण करते है वह स्पष्टतः उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नही होती है। अतः इस पर करदेयता बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत की दर से लागू होगी। fastener पार्टर्स केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम की धारा—14 के तहत घोषित वस्तुओं में सम्मिलित टूल्स स्ट्रीप्स से आच्छादित नही माने जा सकते है क्योंकि आयरन और स्टील से बनी हुई कोई भी वस्तुतः उसके उपयोग के आधार पर ही करयोग्य मानी जायेगी। Narrow woven fabric belts मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2(ख) के कमांक 18 पर अंकित प्रविष्टि Belting of all Varieties Descriptions के अन्तर्गत करयोग्य होगी । इस प्रकार व्यापारी द्वारा वांछित स्पष्टीकरण उक्तानुसार दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजा जाय।

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 4172/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
8. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
9. संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वार प्रेषित कर दें।
10. नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राज नगर गाजियाबाद।
12. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
13. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
14. विधि—अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

21.12.07

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।